छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक/84/रेरा/2023/ 889 रायपुर, दिनाँक 05/07/2023

//परिपत्र//

विषय :– रेरा पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स द्वारा किये गये प्रचार–प्रसार के संबंध में स्पष्टीकरण।

––00––

छ.ग. रेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स द्वारा समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों अपने–अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार–प्रसार किया जाता है। इस संबंध में विभिन्न प्रमोटर्स द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों/अन्य प्रचार सामग्री के अवलोकन से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रमोटर्स द्वारा अपने प्रोजेक्ट को ''रेरा अप्रवूड (Approved)'' प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित किया जाता है। चूँकि छ.ग. रेरा द्वारा अन्य विभागों से प्राप्त अनुमतियों (Approvals) के आधार पर प्रोजेक्ट्स को पंजीयन प्रदान किया जाता है; इसलिये छ.ग. रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स के प्रचार–प्रसार हेतु अप्रवूड शब्द का प्रयोग किया जाना अनुज्ञेय नहीं है। अतः अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संबंध में प्रमोटर्स को यह निर्देशित किया जाता है कि वे प्रोजेक्ट हेतु प्रकाशित विभिन्न प्रचार–प्रसार की सामग्रियों में रेरा अप्रवूड के स्थान पर ''रेरा रजिस्टर्ड/पंजीकृत'' शब्द का प्रयोग करना सुनिश्चित करे। सभी प्रमोटर्स पूर्व की भाँति विभिन्न प्रचार–प्रसार की सामग्री में छ.ग. रेरा प्रोजेक्ट पंजीयन क्रमांक भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना सुनिश्चित करे। यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर

Refresh